न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– डॉ.अमित यादव, आई.ए.एस.,

रसद मामला संख्या– 22/2022
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2022/27

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्योलय, नागौर		1–शैतानराम पुत्र श्री रामप्रसाद निवासी डिडियां कला तहसील जायल। 2–राजूराम मेघवाल पुत्र श्री हनुमानराम मेघवाल निवासी ईग्यार तहसील जायल। 3–प्रेम मण्डा पुत्र रामचन्द्र मण्डा निवासी चौधरी मोटर पार्टस के पीछे वाली गली, हनुमान बाग, नागौर 4–पुखराज प्रोपराईटर, मैसर्स महादेव होटल, एनएच.62 सरहद लालावास तहसील खींवसर 5–प्रहलादपुरी पुत्र प्रेमपुरी निवासी बुगालियो का बास, ईग्यार तहसील जायल जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनियां।
2. अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से वकील श्री सहदेव चौधरी।

निर्णय दिनांक – 07/02/2024

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में मौके पर जब्तशुदा बोलेरो पीकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.सी. 4821 मय 1995 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ से भरी दो प्लास्टिक टंकिया व एक मैनूअल पम्प मय 10 फीट लम्बा प्लास्टिक पाईप, बोगस ग्राहक बनकर टीम द्वारा खरीदे गये 5 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 व 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 04.01.2022 को पुलिस थाना खीवंसर द्वारा दूरभाष पर पुलिस थाना खीवंसर मे अवैध पेट्रोलियम का परिवहन व व्यापार किये जाने पर डिटैन किये गये वाहन की सूचना दिये जाने पर श्री कंवराराम जिला रसद अधिकारी हमराह रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक व श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक पुलिस थाना खीवंसर पहुंचे। पुलिस थाना पहुंचकर थानाधिकारी से प्राप्त तहरीर के आधार पुलिस थाना खीवंसर मे डिटैन शुदा बोलेरा पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.सी. 4821 का मौका निरीक्षण किया। मौके पर डिटैनशुदा वाहन के उपर दो प्लास्टिक की

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

सफेद रंग की टंकिया फिट की हुई पाई गई जिनकी भण्डारण क्षमता 1000 लीटर प्रति टंकी है जिनमें पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। मौके पर एक मैनुअल पम्प मय 10 फीट लम्बा प्लास्टिक पाईप पाया गया। दोनों प्लास्टिक टंकियों मे भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का डिप रोड से मापन करने पर प्लास्टिक टंकी–1 मे 1000 लीटर व प्लास्टिक टंकी–2 में 995 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। इस प्रकार वाहन मे कुल 1995 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। प्लास्टिक की दोनों टंकियों मे भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ की डेनसिटी ली गई जिसमें हाईड्रोमीटर 844 व तापमान 25 से. का मिलान 15से. पर 850.9 डेनसिटी दर्ज की गई जिससे यह मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ प्रतीत होता है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों अप्रार्थी श्री शैतानराम वाहन चालक व अप्रार्थी श्री राजुराम मेघवाल सह चालक से पूछताछ कर बयान दर्ज किये गये। अपने बयानों मे अप्रार्थीगण श्री शैतानराम व श्री राजुराम मेघवाल ने बताया कि यह वाहन बोलेरों पिकअप संख्या आरजे. 21 जी.सी. 4821 अप्रार्थी श्री प्रेम मण्डा का है। अप्रार्थी श्री प्रेममण्डा के निर्देशानुसार उक्त वाहन को नागौर से लेकर हम होटल महादेव खीवंसर पहुंचे। होटल पहुंचकर महादेव होटल के मालिक अप्रार्थी श्री पुखराज से सम्पर्क किया। अप्रार्थी श्री पुखराज द्वारा इस वाहन पर लगी दोनों प्लास्टिक टंकियों मे अन्य वाहन पेट्रोलियम पदार्थ भरवाया गया और उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को विक्रय करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके पश्चात हमने होटल महादेव एनएच. 62 सरहद लालावास पर एक ग्राहक को 5 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ 70 रूपये प्रति लीटर की दर से विक्रय किया। कुछ समय पश्चात पुलिस टीम मौके पर पहुंची व वाहन को पुलिस थाना खीवंसर लेकर आये। अप्रार्थीगण श्री शैतानराम व श्री राजुराम मेघवाल से पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, परिवहन व व्यापार से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज मांग जाने पर इन्होनें किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज नही होना स्वीकार किया जबकि पुलिस तहरीर एवं वाहन चालकों के बयानो अनुसार वाहन चालकों द्वारा पुलिस के बोगस ग्राहक सुनील कानिस्टेबल 998 को 5 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री 70 रूपये प्रति लीटर की दर से किया जाना पाया गया। पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण व विकय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नही किये जाने पर वाहन बोलेरों पिकअप संख्या आरजे,21 जी.सी. 4821 मय दो प्लास्टिक टंकियों मे भरे हुए 1995 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ वएक मैनुअल पम्प मय 10 फिट लम्बा प्लास्टिक पाइप को अवैध मानते हुए एवं जांच मे मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ प्रतीत होने पर जब्त किया गया। जब्तसुदा वाहन पर फिट की गई दोनों प्लास्टिक की टंकियों मे भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ से व बोगस ग्राहक बनकर पुलिस टीम द्वारा खरीदे गये 5 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ से बराबर मात्रा मे पेट्रोलियम पदार्थ को एक एल्युमिनियम की स्वच्छ बाल्टी मे भरकर नमूनों हेतु प्रयुक्त होने वाले तीन एल्युमिनियम के स्वच्छ पात्रों को इसी पेट्रोलियम पदार्थ से साफ कर नमूनों हेतु भरा गया एवं लिये गये नमूनों को ए.–1, ए.–2 व ए.–3 मार्का दिया गया एवं उक्त नमूनों पर आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शर कर सूचना चस्पा की गई। जब्तसुदा प्लास्टिक टंकियों के उपरी ढक्कनों को प्लास्टिक सीलों से सील्ड किया गया। जब्तसुदा वाहन बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.सी. 4821 मय 1995 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ से भरी दो प्लास्टिक टंकियों व एक मैनुअल पम्प मय 10 फीट लम्बा प्लास्टिक पाईप एवं को जो मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005, स्नेहक तेल और ग्रीज(प्रसंस्करण, पदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1987 और राजस्थान जैव ईधन पंजीकरण नियम 2019 का उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी निर्देशों का उल्लघंन है जो धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से वास्ते सबूत वाहन बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.सी. 4821 मय 1995लीटर पेट्रोलियम पदार्थ से भरी दो प्लास्टिक टंकियों व एक मैनुअल पम्प मय 10 फीट लम्बा प्लास्टिक

कार्यालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

2

कलक्टर नागौर

पाईप, बोगस ग्राहक बनकर पुलिस टीम द्वारा खरीदे गये 5 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को जब्त सरकार किया जाकर निर्णय होने तक वास्ते सुरक्षा पुलिस थाना खीवंसर की सुपुर्दगी मे दिया गया। जब्तसुदा पेट्रोलियम पदार्थ का नमूना जांच हेतु आर.एस.एफ.एल. जोधपुर को भेजा गया है।

3. प्रकरण में प्रार्थी की ओर से दिनांक 05.09.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जप्तशुदा वाहन आर.जे. 21 जी.सी. 4821 का मालिक प्रहलादपुरी पुत्र प्रेमपुरी निवासी बुगालिया का बास ईग्यार तहसील जायल जिला नागौर होना अवगत कराया। जिस पर हस्तगत प्रकरण में आदेशिका दिनांक 20.09.2023 अनुसार प्रहलादपुरी को अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 25.05.2022 अनुसार व अप्रार्थी संख्या 5 प्रहलादपुरी के विरूद्ध दिनांक 20.12.2023 को तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 23.01.2024 अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

4. आर.एफ.एस.एल. जोधपुर से निम्नानुसार जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई है– **The liquid sample contained in the packet marke A-1 did not confirmed the BIS Specification of iesel (IS 1460 : 2017) in respect of distillation characteristics, density at 15°C and Kinematic viscosity at 40°C. on the basis of distillation characteristics the above sample was found to be of petroleum hydrocarbon fractions having Density 0.8569 at 15°C an flash point 131°C (PMCC).** प्राप्त रिपोर्ट अनुसार हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा पदार्थ मिश्रीत पेट्रोलियम पदार्थ है। विधि अनुसार ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, परिवहन आदि के लिए वैद्य अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3, 5 द्वारा उक्त संबंध में न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कोई विरोध तक प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया है वह किसी प्रकार से तथ्यों पर आधारित नही है तथा न ही अप्रार्थीगण की ओर से उक्त पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व परिवहन आदि के संबंध में कोई वैद्य अनुज्ञप्ति प्रस्तुत की गई है, का कथन करते हुए प्रवर्तन अधिकारी अभियोजन ने प्रकरण में वाहन बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.सी. 4821 मय 1995 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ से भरी दो प्लास्टिक टंकियों व एक मैनुअल पम्प मय 10 फीट लम्बा प्लास्टिक पाईप, बोगस ग्राहक बनकर पुलिस टीम द्वारा खरीदे गये 5 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

5. वकील श्री सहदेव चौधरी ने अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब को हूबहू दोहराते हुए प्रकरण अप्रार्थी पुखराज की हद तक खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में जब्तशुदा पदार्थ RFSL जोधुपर की रिपोर्ट क्रमांक RFSL(JOD)/43/CAE/3/22 दिनांक 31.10.2022 अनुसार मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ है और ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व परिवहन हेतु वैद्य अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा ऐसे मिश्रीत पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व परिवहन के संबंध में कोई वैद्य अनुज्ञप्ति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की है। यहां तक की अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 व 5 ने प्रार्थी पक्ष द्वारा उनके विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत कार्यवाही के विरोध स्वरूप न्यायालय हाजा में किसी प्रकार का कोई जवाब आदि प्रस्तुत नहीं किया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 व 5 की गई कार्यवाही पर उनका किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध की गई कार्यवाही उचित होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा बोलेरो पीकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.सी.

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

4821 मय 1995 लीटर मिश्रीत पेट्रोलियम पदार्थ से भरी दो प्लास्टिक टंकिया व एक मैनूअल पम्प मय 10 फीट लम्बा प्लास्टिक पाईप, बोगस ग्राहक बनकर टीम द्वारा खरीदे गये 5 लीटर मिश्रीत पेट्रोलियम पदार्थ को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा 1995 लीटर मिश्रीत पेट्रोलियम पदार्थ से भरी दो प्लास्टिक टंकिया व एक मैनूअल पम्प मय 10 फीट लम्बा प्लास्टिक पाईप, बोगस ग्राहक बनकर टीम द्वारा खरीदे गये 5 लीटर मिश्रीत पेट्रोलियम पदार्थ का नियमानुसार किमतन निस्तारण करने का आदेश दिया जाता है। किमतन निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा बोलेरो पीकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.सी. 4821 का समपहरण (Confiscate) करने के विकल्प में वाहन मालिक अप्रार्थी संख्या 5 प्रहलादपुरी पर राशि रूपये 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर अप्रार्थी संख्या 5 प्रहलादपुरी द्वारा उक्त जुर्माना राशि जिला रसद अधिकारी नागौर के कार्यालय में जमा करवा दिये जाने पर उक्त जब्तशुदा बोलेरो पीकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.सी. 4821 को मुक्त कर वाहन मालिक को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार प्राप्त जुर्माना राशि को राजकीय राशि घोषित की जाती है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
नागौर (राजस्थान)

(डॉ.अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर